Ensure Sufficient Maternity Benefits to All Women Workers

Khurja district in Uttar Pradesh has one of the largest ancient settlements of pottery workers in India. Outside a factory in the scorching heat three women surrounded by hundreds of tiny unfired mugs go about their work religiously. One of them is Gajendri, a 7 month pregnant woman. She is 22 year old and has been working for the last three years in the same factory unit.

Gajendri's day starts with her daily household chores of cleaning, washing, fetching water, firewood, cooking and then rushing to the factory to start her work. Since she is not a permanent worker she can go according to her own timings. However, the later she goes, the less work she can do, and the less she can earn.

Gajendri earns a piece-rate wage of 10 paise for each mug she cleans before it goes for final processing. She cleans around 1000 mugs and earns Rs 100 per day. The number of items she can clean varies with their size and design. She chisels smooth the protruding edges of the pottery with a sharp-edged, knife-like tool, cleans it in water mixed with chemicals, washes it with plain water and passes it on to the finishing department.

Gajendri's husband Raman Bhai works in another pottery unit in Khurja as a head loader. He does the loading and unloading of clay and other raw materials. He earns Rs.100 per day. Together the family income of Gajendri and her husband per day is around 200, which equals a family income of around Rs. 5200 per month, for 26 working days. As per the definition of Government of India, Gajendri's family is not a BPL household.

Besides Gajendri and her husband, the family includes her in-laws who are old and ailing and require periodic medical attention, and a twelve-year-old brother who is in school. They stay in a rented house for which Rs.1800 is being paid as rent. This excludes electricity charges, which are paid on the basis of usage. In addition to these are expenditure on food, clothing, incidental expenses, and so on.

Gajendri has only two months left till her delivery. She still works in the pottery unit and may do so till the day of delivery itself. Regardless of whether or not her health permits it, she may have to resume work immediately after the delivery too. But the primary concern of Gajendri and her husband is how they will meet the delivery expenses which includes hospitalization charges, medicines and the immediate requirements of the baby and mother.

Raman Bhai, was informed by a village social worker about the government of India's assurance of Rs. 500 for women towards delivery expenses. Though the amount seems meager, the family considered it a blessing. But to their dismay, when they approached the concerned department for claiming the amount, they were denied the payment since they do not belong to a BPL family. According to the Unorganised Workers Social Security (UWSS) Act, 2008, only pregnant women belonging to BPL families are entitled for Rs. 500 under the scheme Janani Suraksha Yojana.

Raman Bhai and Gajendri did not understand how they could be be excluded from getting the amount – the meager amount of Rs. 500 – which would have been a boon. "We do not have a penny with us and the official says we are not poor", says the confused couple.

The UWSS Act, 2008 is for whom? With the prices of medicines drastically high, and when medical expenses, even in a government hospital, are soaring, does an amount of Rs. 500 as maternity benefit for a delivery make sense! And that too only for those who earn below Rs 12 per day?

Don't you agree that Gajendri should be entitled to the maternity benefits and that she should get enough money to meet her hospital expenses, along with sufficient rest to recoup her health and that of her child?

Don't you think that the Act should be amended to provide at least three months leave with full wages or equivalent along with full hospital expenses to meet the demands of Gajendri and millions of other women like her?

सभी महिला मजदूरों को उचित प्रसूति लाभ दो

उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले में बहुत सारे पॉटरी कामगार रहते हैं। देश भर में यहां पर पॉटरी कामगारों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहीं की एक फैक्ट्री के बाहर चिलचिलाती गर्मी में तीन औरतें सैकड़ों कच्चे मगों के बीच बैठी मशीन की तरह अपना काम किये जा रही हैं। उनमें से एक का नाम गजेंद्री है। वह सात महीने की गर्भवती है। उसकी उम्र 22 साल है और पिछले तीन साल से वह इसी फैक्ट्री में काम कर रही है।

गजेंद्री का दिन सुबह साफ-सफाई, कपड़ों की धुलाई, पानी भरकर लाने, जलावन जुटाने और खाना पकाने के साथ शुरू होता है। इसके बाद वह नियम से काम पर चली जाती है। क्योंकि गजेंद्री पक्की यानी परमानेंट मजदूर नहीं है इसलिए वह थोड़ा-बहुत आगे पीछे भी जा सकती है। लेकिन अगर वह देर से जाएगी तो उसी को नुकसान होगा। उसे कम काम मिलेगा और वह कम कमा पाएगी।

गजेंद्री को हर मग की सफाई के लिए 10 पैसे मिलते हैं। इसके बाद ये मग फिनिशिंग के लिए आगे बढ़ा दिए जाते हैं। गजेंद्री एक दिन में लगभग 1,000 मग साफ करती है जिनके लिए उसे 100 रुपये की आमदनी हो जाती है। दिन भर में वह कितने बर्तन साफ कर लेती है यह बात बर्तनों के साइज और बनावट पर निर्भर करती है। वह बर्तनों पर उभरे नुकीले कोनों को धारदार चाकू जैसे औजार से घिसकर साफ करती है, फिर बर्तनों को रासायनिक पानी में धोती है, उसके बाद उन्हें साफ पानी में धोती है। इसके बाद बर्तन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेज दिये जाते हैं।

गजेंद्री का आदमी रमन भाई भी खुर्जा के ही एक पॉटरी कारखाने में काम करता है। वह सिर पर वजन ढोता है। उसे मिट्टी और दूसरे कच्चे माल की लोडिंग व अनलोडिंग करनी होती है। उसे 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है। इस तरह एक दिन में पति-पत्नी दोनों मिलकर लगभग 200 रुपये कमा लेते हैं। महीने के 26 कार्य दिवसों के हिसाब से उनकी कुल आय 5200 रुपये के आसपास बैठती है। भारत सरकार की परिभाषा के मुताबिक गजेंद्री का परिवार गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) नहीं है।

गजेंद्री और उसके पति के अलावा गजेंद्री के सास-ससुर भी उनके साथ ही रहते हैं। वे बूढ़े और बीमार रहने लगे हैं इसलिए उन्हें रह-रह कर इलाज की जरूरत पड़ती है। गजेंद्री का 12 साल का भाई स्कूल में पढ़ता है। ये सारे लोग किराए के एक मकान में रहते हैं जिसका किराया 1800 रुपये माहवार है। इस किराये में बिजली की लागत शामिल नहीं है। बिजली का खर्चा खपत के हिसाब से देना पड़ता है। इनके अलावा खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने और आने-जाने के खर्चे हैं सो अलग।

गजेंद्री का प्रसव होने में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं। वह अभी भी पॉटरी कारखाने में काम कर रही है और संभव है कि डिलीवरी वाले दिन तक भी काम करती रहेगी। उसकी सेहत अच्छी हो या खराब, डिलीवरी के फौरन बाद उसे फिर से नौकरी पर लौट आना पड़ेगा। गजेंद्री और उसके आदमी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जचगी के खर्चों का इंतजाम कहां से किया जाएगा। उनको मालूम है कि प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने, दवाइयां खरीदने और जच्चा-बच्चा की फौरी जरूरतों के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है।

हाल ही में रमन भाई को एक सोशल वर्कर से पता चला कि भारत सरकार ने जचगी के मद में हरेक औरत को 500 रुपये मदद का ऐलान किया है। हालांकि ये रकम बहुत छोटी है लेकिन इन दोनों के लिए ये भी किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है कि जब वे इस पैसे के लिए संबंधित महकमे में गये तो उन्हें ये पैसा नहीं दिया गया क्योंकि वे बीपीएल परिवारों की श्रेणी में नहीं आते। असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के मुताबिक जननी सुरक्षा योजना के तहत केवल ऐसी गर्भवती महिलाओं को ही 500 रुपये की मदद मिलेगी जो बीपीएल परिवारों से हैं।

रमन भाई और गजेंद्री को ये बात समझ में नहीं आती कि उन्हें 500 रुपये की इस मामूली रकम का हकदार भी क्यों

नहीं माना गया जो उनकी जिंदगी में थोड़े समय के लिए खुशहाली ला सकती थी। मियां-बीवी दोनों का एक ही सवाल है: "हमारे पास एक दमड़ी नहीं है और अफसर कहते हैं कि हम गरीब नहीं हैं।"

आखिर यूडब्ल्यूएसएस अधिनियम, 2008 किसके लिए बना है? दवाइयों की बढ़ती कीमतों और सरकारी अस्पतालों में भी इलाज के बढ़ते खर्चों को देखते हुए क्या प्रसव के लिए 500 रुपये की सहायता का कोई मतलब बनता है? और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो दिन भर में महज 12 रुपये कमा सकते हैं?

क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गजेंद्री को भी प्रसूति लाभ पाने का हक है और उसे भी इतना पैसा मिलना चाहिए कि वह अस्पताल का खर्चा उठा सके और अपनी व अपने बच्चे की सेहत सुधरने तक आराम कर सके?

क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कानून में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि गजेंद्री और उसके जैसी लाखों दूसरी औरतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पताल के पूरे खर्चे सहित 3 महीने की तनख्वाह सहित छुट्टी का अधिकार मिले?